

समक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,.....
(उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 35 के अंतर्गत)

1.परिवादी का विवरण –

.....
.....

विरुद्ध

2. विरोधीपक्ष का विवरण –

.....
.....
.....

3. परिवाद के संक्षिप्त तथ्य/विवरण एवं प्रकृति –

.....
.....
.....
.....

4. समान क़य करने की तिथि/सेवा प्राप्त करने हेतु भुगतान राशि की तिथि –

.....
5. शिकायत का कारण – –

.....
6. सेवा में निम्नता – –

.....
7. सेवा प्रदाता / वारंटी या गारंटी यदि कोई हो तो उस हेतु दायित्वाधीन विरोधी पक्षकार
–

8-वाद कारण उत्पन्न होने की –

9. समयावधि में प्रस्तुत है/न हो तो कारण—क्या विलंबामा हेतु आवेदन —

10. जिला आयोग का क्षेत्राधिकार आर्थिक एवं स्थानीय भुगतान की गई प्रतिफल की राशि

11. परिवाद प्रस्तुत करने हेतु संदेय शुल्क जमा कर दी गई है ? —

12. शिकायत के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्षियों का विवरण जो परिवाद के निराकरण के लिये प्रस्तुत किये जायेंगे —

13. सेवा के संबंध में किसी अन्य प्रकार की गई शिकायत व्यक्तिगत एवं/अथवा लिखित (परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम परिवाद है इससे पूर्व जिला उपभोक्ता आयोग में प्रस्तुत/लंबित / निराकृत नहीं है।) —

14. परिवादी द्वारा इन्सिल अनुतोष — क

ख.....

ग.....

(हस्ताक्षर)

परिवादी

नाम—

पता—

// सत्यापन //

मैं परिवादी..... पिता/पतिआयुवर्ष यह सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त परिवाद की कड़िका-1 से कड़िका 14 (क) सेतक के कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सही तथा कड़िका..... से कड़िका..... के कथन मुझे प्राप्त जानकारी के आधार पर सही एवं सत्य है। जिसे आज दिनांक को स्थानमे पढ़कर, समझकर अपना हस्ताक्षर कर सत्यापित किया।

दिनांक

स्थान

अधिवक्ता वास्ते
परिवादी

(हस्ताक्षर)

परिवादी